महत्वपूर्ण तत्काल

कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा मध्यप्रदेश
सतपुड़ा भवन, पांचवी मंजिल भोपाल

कमांक 1424 /आउशि/छावृ/08 भोपाल, दिनांक 24/7/08 जुलाई 2008

प्रति,

प्राचार्य,
समस्त शासकीय अग्रणी महाविद्यालय,
मध्यप्रदेश

दिषयः– छात्रों के आवेदन प्राप्त कर समय सीमा में छात्रवृत्ति प्रदान करने बाबत् ।

प्रदेश के महाविद्यालयों में अध्ययनरत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों के पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के भुगतान में कभी–कभी असाधारण विलम्ब पिछले वर्षो में देखा गया है संबंधित विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति का समय पर भुगतान करने के लिये यह आवश्यक है कि संबंधित छात्रों से 20 जुलाई तक आवेदन प्राप्त कर लिये जावें और समस्त संबंधित छात्रो के आवेदन पत्र 25 जुलाई 2008 तक संबंधित जिले के सहायक आयुक्त/जिला संयोजक, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग को अग्रेषित किये जावें ।

यह भी सुनिश्चित कर लिया जावें कि आपके क्षेत्राधिकार के किसी भी महाविद्यालय के किसी भी विद्यार्थी का कोई आवेदन पत्र लंबित न रहें । इस आश्य का आप यह प्रमाणीकरण भी प्राप्त कर लें कि किसी विद्यार्थी का कोई आवेदन पत्र लंबित नहीं रहा ।

समस्त विद्यार्थियों की पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति का वितरण जिला संयोजक/सहायक आयुक्त, अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग से समन्वय स्थापित कर संबंधित विभाग के द्वारा निर्धारित समय सीमा में छात्रवृत्ति का वितरण कराना सुनिश्चित किया जावें ।

(आशीष उपाध्याय)
आयुक्त,
उच्च शिक्षा मध्यप्रदेश

पृष्ठांकन कमांक 1425 /आउशि/छावृ/08 भोपाल, दिनांक 24 जुलाई 2008
प्रतिलिपिः–

1. आयुक्त, अनुसूचितजाति/अनुसूचित जनजाति/अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग मध्यप्रदेश
2. समस्त कलेक्टर, मध्यप्रदेश
3. समस्त जिला संयोजक/सहायक आयुक्त अनुसूचितजाति/अनुसूचित जनजाति/अल्पसंख्यक पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग मध्यप्रदेश

आयुक्त,
उच्च शिक्षा मध्यप्रदेश